भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 80
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिकायतों की जांच

†*80. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और आज की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कुल कितने ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने राज्यों में अवसंरचना की खराब गुणवत्ता, वित्तीय अनियमितताओं और निविदा प्रीमियम घोटालों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए कोई निरीक्षण दल तैनात किए हैं और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;
(ग) केन्द्र सरकार द्वारा की गई समीक्षाओं के बाद निलंबन, काली सूची में डालने, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और गिरफ्तारियों सहित कुल कितने विभागीय अधिकारियों, निजी ठेकेदारों और तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत किए जाने तक राज्यों विशेष को धनराशि का आवंटन रोक दिया है, उस पर रोक लगा दी है या उसकी पुनः संरचना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है और उक्त जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नए योजना-आधारित वित्तपोषण मॉडल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिकायतों की जांच के संबंध में श्री विजय कुमार हाँसदाक द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *80 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जैसा कि सूचित किया गया है, जेजेएम के तहत 12.66 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.89 करोड़ (82.09%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार कवरेज जेजेएम डैशबोर्ड के लिंक https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय होने के कारण, *अन्य बातों के साथ-साथ* जेजेएम के अंतर्गत घटिया कार्य और वित्तीय अनियमितताओं सहित सवालों/शिकायतें आदि पर कार्रवाई एवं उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, जेजेएम के तहत वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों की खराब गुणवत्ता के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्रोतों जैसे मीडिया रिपोर्ट, स्वत: संज्ञान, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों, शिकायत पोर्टल आदि के संदर्भ से कुल 18,790 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 635 विभागीय अधिकारियों, 1,020 ठेकेदारों और 155 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए विभागीय अधिकारियों पर निलंबन, विभागीय जांच, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार आरोप-पत्र जारी करने सहित प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदारों के मामले में, की गई कार्रवाइयों में उन्हें काली सूची में डालना या काली सूची में डालने की सिफारिश करना, संविदाओं को समाप्त करना, जमा बयाना राशि को जब्त करना और उल्लंघन के स्वरूप के आधार पर जुर्माना लगाना शामिल है। जहां तक टीपीआईए का संबंध है, संबंधित व्यक्तियों को पैनल से हटा दिया गया है और अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा वसूली शुरू कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार मिशन के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रों को प्रकटित करने के लिए समीक्षा बैठकों और बहु-विषयक दलों के दौरों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इस

संदर्भ में, जेजेएम के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, डीडीडब्ल्यूएस ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) और तकनीकी टीमों के माध्यम से चयनित जेजेएम योजनाओं का जमीनी सत्यापन किया। इस कार्य में सीवीसी, नीति आयोग और सीपीएचईईओ के परामर्श से विकसित किए गए जेजेएम-आईएमआईएस के साथ एकीकृत डिजिटल मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से तकनीकी डिजाइन, वित्तीय औचित्य, कार्यों की गुणवत्ता, कार्यान्वयन प्रगति और शिकायत संबंधी मुद्दों का सत्यापन शामिल था। सीएनओ के निष्कर्षों के आधार पर, रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया और सुधारात्मक उपायों के लिए उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया।

मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्षों ने इंगित किया कि राज्य-विशिष्ट नीतियां या परिपाटियां तकनीकी रूप से असंगत और आर्थिक रूप से अक्षम डिजाइनों की ओर ले जा रही हैं। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के डिजाइन मानकों से अंतर होने, शहरी जल की मांग को शामिल करने के परिणामस्वरूप परियोजना लागत भी अनुचित रूप से अधिक हो गई है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों की आयोजना, कार्यान्वयन और गांव-अवस्थित अवसंरचना के प्रबंधन में सीमित भागीदारी, ग्राम पंचायतों के प्रति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों (पीएचईडी) की तकनीकी सहायता जिम्मेदारियों को दर्शाने वाले स्पष्ट निर्देशों की कमी से भी ग्रामीण समुदाय के स्वामित्व की भावना और जनभागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा, कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता पर जोर देते हुए एक संशोधित और व्यापक चेकलिस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) के लिए निगरानी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाकर योजनाओं के जमीनी सत्यापन को बढ़ाया गया है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए एनडब्ल्यूई की रिपोर्टों को जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

जहां तक केंद्रीय निधि जारी करने का संबंध है, जेजेएम 2.0 के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में दो निधियन मोड के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं के लिए योजना-वार आधार पर केंद्रीय सहायता जारी करने का प्रावधान किया गया है, अर्थात्:

i. अपफ्रंट भुगतान मोड (एसएनए स्पर्श के माध्यम से): एकल ग्राम योजनाओं, गुणवत्ता/मात्रा-प्रभावित क्षेत्रों में बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) तथा सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) घटकों सहित गैर-पीडब्ल्यूएस योजनाओं के लिए प्रस्तावित

ii. प्रतिपूर्ति मोड: अन्य एमवीएस और थोक जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रस्तावित।
